डीजी परिपत्र संख्याः 34/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊः जुलाई १० , 2013

प्रिय महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के अ0शा0परिपत्र संख्या 32/2013 दिनांक 01.07.2013 का अवलोकन करें जिसके द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस प्रभारीगण/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकगण एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकगण को क्रिमिनल मिस(पी0एल0आई0) रिट याचिका संख्या 1797/2011 मो0 कासिम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में समस्त जनपदों में क्राइम ब्रांच में उपनिरीक्षकों की नियुक्ति करने एवं उनके द्वारा निर्धारित अभियोगों की विवेचना किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के संबंध में आप अपने परिक्षेत्र के जनपदों में उपरोक्त परिपत्र में चिन्हित अपराधों की शीघ्र समीक्षा कर लें तथा अपराधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में उपनिरीक्षकों को क्राइम ब्रांच में नियुक्त करे। उचित होगा कि एक उप निरीक्षक माह में दो या तीन से अधिक विवेचना न करें। मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी अपेक्षा की है कि क्राइम बांच में वे ही उपनिरीक्षक नियुक्त कियें जाये जो विवेचना मे निपुण हों तथा पूर्व में सौपे गये अभियोगों की विवेचना का सफल अनावरण कर चुके हों। अतः तदानुसार उपनिरीक्षकगण की नियुक्ति की जाय।

चूंकि उपरोक्त के संबंध में मा0उच्च न्यायालय में दिनांक 05.08.2013 के पूर्व अनुपालन आख्या का शपथपत्र दाखिल किया जाना है, अतः इस संबंध में आप परिक्षेत्र के जनपदों में उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की संकलित अनुपालन आख्या दिनांक 30.7.2013 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें। क्राइम ब्रांच में नियुक्त उपनिरीक्षक, जिनके द्वारा पूर्व में अच्छे अपराधों का सफल अनावरण किया गया है, की सूची मय अपराध विवरण के उपलब्ध कराई जाए।

यह न्यायालय का प्रकरण है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।

भवदीय,

(देवराज नागर) 10.7.13

पुलिस उपमहानिरीक्षक समस्त परिक्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।